

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गॉंधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (2) मो./आ.बा.रिलोकेशन/2014-15 10599-631

जयपुर, दिनांक
28.7.16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त।

विषय:—अक्रियाशील आंगनबाडी केन्द्रों के रिलोकेशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11/33/2015-CD-1 दिनांक 22.01.2016 के दिशा-निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत मिनी/आंगनबाडी केन्द्र जो कि अक्रियाशील हैं। उनको उसी परियोजना में रिलोकेट करवाकर क्रियाशील किया जाना अपेक्षित है।

1. रिलोकेशन का प्रस्ताव भेजते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि पूर्व में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र के रिलोकेशन किये जाने से वहाँ के लाभार्थियों को आईसीडीएस सेवाएं प्रदान करने में नाकारात्मक प्रभाव न पड़े।
2. पूर्व में स्वीकृत वे आंगनबाडी केन्द्र जो कि जनसंख्या के मापदण्ड पूरे नहीं करते हैं उन्हीं केन्द्रों को रिलोकेट किये जाने के प्रस्ताव भेजें।
3. नवीन प्रस्तावित आंगनबाडी केन्द्र नियमानुसार जनसंख्या के मापदण्ड पूर्ण करते हों एवं वहाँ आंगनबाडी केन्द्र खोलने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो।
4. प्रकरणों का परीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में विभाग के ई-मेल (jdm.wcd@rajasthan.gov.in) पर 5 अगस्त, 2016 को सायं 5:00 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पूर्व में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र का विवरण जो अक्रियाशील है।			संशोधित प्रस्ताव				संशोधन का कारण
		आंगनबाडी केन्द्र का नाम मिनी/मुख्य	ग्राम	ग्राम पं.	आंगनबाडी केन्द्र का नाम मिनी/मुख्य	ग्राम	ग्रा. पं.	जनसंख्या	

(डॉ. समित शर्मा)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर
जयपुर, दिनांक

क्रमांक : एफ 11 (2) मो./रिलोकेट/2014-15
प्रतिलिपि:—

1. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. धर्मवीर मीणा)
संयुक्त परियोजना समन्वयक—।।